न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/108

ईश्वरी बाई दुख्तर भीमा जाति माली निवासी डोकून हाल पता पत्नी ग्यारसा जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

बनाम

1. मृतक फत्ता आत्मज लोडक्या जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. विमल उर्फ सुरेन्द्र आत्मज फत्ता ।
   1/2. रामप्यारी बेवा फत्ता ।
   1/3. सुगना पुत्री फत्ता ।
   1/4. सुशीला पुत्री फत्ता ।
   1/5. रामी बाई पुत्री फत्ता ।
   1/6. मृतक महावीर पुत्र फत्ता जरिये कायममुकामान :–
   1/6/1. बेवा ममता पत्नी महावीर ।
   1/6/2. महेन्द्र पुत्र महावीर नाबालिग जरिये वली माता ममता पत्नी महावीर जाति माली निवासीगण ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. खानी बेवा कालू जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. भोलाशंकर आत्मज कालू जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. ब्रह्मानन्द आत्मज कूल जाति माली अल्पवयस्क जरिये वली संरक्षक माता खानी पत्नी कालू जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. लाली बाई पत्नी गोरधन जाति माली निवासी डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. इन्द्रा पुत्री कालू जाति माली निवासी डोकून हाल पता पत्नी हेमराज जाति माली निवासी भजनेरी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. भू–स्वामी राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
8. श्रीमान् जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।
9. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा देई जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामणी बैंक शाखा देई जिला बून्दी ।

–––रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डोकून तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 07 कितास की रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी कम 01 का 1/3 हिस्सा व वादीगण कम 02 से 06 का संयुक्त हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी कम 01 का संयुक्त हिस्सा 1/3 नियत है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी अधिकार की भूमि है जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । पक्षकारान ने आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 348 से पश्चिमी ओर लगा हुआ आम रास्ता है जिस पर चलकर तथा खसरा नम्बर 348, 351, 352 की दक्षिणी मेड के सहारे इन खसरा नम्बर में होकर खसरा नम्बर 353 में पहुंचने का रास्ता है जिस पर होकर सदैव से वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की आराजी पर पहुंचते हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जावे एंव खसरा नम्बर 353 तक पहुंचने का रास्ता वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 346, 351 व 352 में होकर दक्षिणी मेड के सहारे 15 फीट चौडा रखा जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वर्तमान कब्जे को ध्यान में रखते हुए फरमाया जावे विकल्प में यह भी निवेदन है कि यदि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से हुए बंटवारे के कब्जे का स्वीकार नहीं फरमाते हुए अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्धान्त के आधार पर बंटवारा किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के हिस्से बंटवारे में आने वाली भूमि पर वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा हिस्से बंटवारे की जोत तक पहुंचने के लिए निर्धारित जाने वाले रास्ते को अवरोध नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.06.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी कम 01 फत्ता की मृत्यु हो गई थी परन्तु उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय में दी गई तारीख पेशी दिनांक 10.07.2015 को उपस्थित होने व पत्रावली के नहीं मिलने पर दुबारा से तारीख पेशी दिनांक 19.08.2015 दिये जाने के पश्चात् उक्त पेशी पर अपीलान्ट के अभिभाषक के द्वारा न्यायालय में पत्रावली नहीं मिलने पर कार्यालय में जाकर पता करने पर जानकारी हुई कि पत्रावली लोक अदालत में निर्णित की जा चुकी है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन

पत्र प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्टगण कम 01 से 06 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था । अपीलान्ट प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये । पत्रावली वास्ते जवाब में तारीख पेशी दी गई और लोक अदालत में बिना अपीलान्ट की उपस्थिति के गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा डिक्री किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादी कम 01 फत्ता का देहान्त हो चुका है बिना कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये मृतक का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता । फत्ता के मृतक पुत्र महावीर के वारिस मौजूद हैं, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना अनिवार्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 का पेश किया गया था । वादग्रस्त आराजी में फत्ता का 1/3 एवं वादी कम 2 लगायत 06 का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादी कम 01 का 1/3 हिस्सा निहित है । दावे की मद संख्या 05 में खसरा नम्बर 348, 351, 352 की दक्षिणी मेड के सहारे 15 फीट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 353 तक पहुंचने के लिए घोषित करवाये जाने की प्रार्थना की थी । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी ली गई है और वादी कम 04 बृह्मानन्द, वादी कम 02 खानी बाई, वादी कम 03 भोला शंकर, फत्ता की पत्नी रामप्यारी बाई और सुरेन्द्र पुत्र फत्ता उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत की भावना से डी0एल0सी0 दर से दोगुनी दर से राशि जमा करने का आदेश पारित करते हुए 15 फीट चौडा रास्ता कायम किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि फत्ता की मृत्यु हो चुकी थी । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर भी फत्ता की विधवा रामप्यारी की अंगूठा निशानी और सुरेन्द्र पुत्र फत्ता के हस्ताक्षर कराये गये हैं परन्तु फत्ता के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया

गया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और ही कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणागवुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा